

Order Sheet [Contd]

Case No 25 / 2017 बी.ए

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
20-01-2017	<p>आवेदक/आरोपी ओमप्रकाश की ओर से श्री के.पी. राठौर अधिवक्ता।</p> <p>राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक।</p> <p>आवेदक/आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा.फौ. के संबंध में उभय पक्षों को सुना गया।</p> <p>आवेदक/आरोपी की ओर से अधिवक्ता श्री के.पी. राठौर द्वारा नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 का पेश कर निवेदन किया कि आवेदक/आरोपी उसके विरुद्ध न्यायालय में संचालित प्रकरण में पूर्व से जमानत पर था और नियमित पेशीओं पर न्यायालय में उपस्थित हो रहा था, किन्तु प्रार्थी के पुत्र रिकू का लीवर खराब हो जाने से वह उसका इलाज कराने हेतु बाहर चला गया था जिस कारण वह न्यायालय में नियत तिथि को उपस्थित नहीं हो सका था और न ही इस बात की जानकारी अपने अभिभाषक को दे सका था। जिस कारण उसके जमानत मुचलके न्यायालय द्वारा जप्त किए गए हैं और उसे वारंट से तलब किया गया है। आवेदक न्यायिक निरोध में है। आवेदक के पुत्र का वर्तमान में इलाज चल रहा है वह लीवर की बीमारी से ग्रसित है, उसकी देखरेख करने हेतु कोई अन्य व्यक्ति भी नहीं है। आवेदक न्यायालय की समस्त शर्तों का पालन करने को तैयार है वह भविष्य में नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा। अतः आवेदक/आरोपी को उचित जमानत मुचलके पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रकरण जो कि दिनांक 18.11.16 को अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत था। उक्त दिनांक को आरोपी के अनुपस्थित हो जाने से उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट का आदेश हुआ है। प्रकरण जो कि सन् 2011 से न्यायालय में लम्बित है । आरोपी को पूर्व में माननीय उच्च</p>	

न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के द्वारा जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया गया था किन्तु उसके द्वारा जमानत शर्तों का पालन नहीं किया गया है। आरोपी की अनुपस्थिति का जो कारण बताया है उसमें उसके पुत्र के बीमारी से ग्रस्त होने और उसका ईलाज चलने के कारण नियत तिथि दिनांक को उपस्थित न होना बताया है किन्तु इस संबंध में आवेदक के द्वारा जो पुत्र के ईलाज से संबंधित पर्चे पेश किये गये हैं वह 18-11-16 के पूर्ववर्ती तिथियों के पर्चे हैं और उनसे कहीं ऐसा भी दर्शित नहीं होता है कि वह कहीं अस्पताल में भर्ती रहा हो । ऐसी दशा में आरोपी की अनुपस्थिति का जो कारण बताया जा रहा है वह उचित होना नहीं कहा जा सकता है ।

विचारोपरान्त आरोपी जिसके विरुद्ध धारा 302 भा0द0सं0 एवं धारा 25,27 आयुध अधिनियम के अंतर्गत विचारण चल रहा है आरोपी समुचित कारण के बिना साक्ष्य दिनांक को अनुपस्थित रहने से और माननीय उच्च न्यायालय के जमानत शर्तों का पालन न करने के परिप्रेक्ष्य में उसे इस न्यायालय के द्वारा जमानत पर छोड़ा जाना उचित नहीं है । अतः आवेदक/आरोपी की ओर से प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 439 जा0फो स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य के लिये पूर्ववत् दिनांक 27,28-1-17 को पेश हो ।

ए0एस0जे0गोहद

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(डी०सी०थपलियाल)

ए.एस.जे. गोहद